




आदेश पत्रक  
(नियम 13)

**General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9)**

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़

<p>विकास पुत्र मखनलाल जाति माली निवासी मोहब्बतसर तहसील नवलगढ़</p>	<p>-बनाम-</p>	<p>आकाश पुत्र मखनलाल जाति माली निवासी मोहब्बतसर तहसील नवलगढ़</p>
<p>किस्म मुकदमा - प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</p>		<p>मु.नं. 33/2023</p>
<p>06 / 04 / 2023</p>	<p>यह प्रार्थना-पत्र वादी की ओर से जरिये वकील श्री अमरसिंह शेखावत एवं भोजराज सिंह शेखावत ने पेश कर निवेदन किया कि ताफैसला दावा अनावेदक 06 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाकर राजस्व ग्राम मोहब्बतसर पटवार हल्का चैलासी की सरहद में स्थित भूमि के खसरा नम्बर 302 रकबा 1.6200 हैक्टर भूमि में किसी भी भू-भाग पर न तो स्वयं कब्जे करें, ना ही अन्य किसी से करवाये, ना ही स्वयं बेदखल करें ना ही किसी से करावे, ना ही विशेष भाग पर कब्जा न तो स्वयं करे, ना ही अन्य किसी से करावे। आवेदकगण को शांतिपूर्वक उपयोग-उपभोग करने देवे। मौकें व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।</p> <p>आवेदक वकील व प्रार्थी को मौखिक तौर पर सुना गया। प्रथम दृष्टया आवेदक वकील का उक्त कथन उचीत प्रतीत होता है। अतः अनावेदक 06 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाकर राजस्व ग्राम मोहब्बतसर पटवार हल्का चैलासी की सरहद में स्थित भूमि के खसरा नम्बर 302 रकबा 1.6200 हैक्टर भूमि में किसी भी भू-भाग पर न तो स्वयं कब्जे करें, ना ही अन्य किसी से करवाये, ना ही स्वयं बेदखल करें ना ही किसी से करावे, ना ही विशेष भाग पर कब्जा न तो स्वयं करे, ना ही अन्य किसी से करावे। आवेदकगण को शांतिपूर्वक उपयोग-उपभोग करने देवे। ना ही वादग्रस्त भूमि का विक्रय-पत्र दान-पत्र, हक त्याग-पत्र स्वयं तथा नौकर-चाकर से करावे, मौकें व रिकार्ड की यथास्थिति आगामी आदेश तक बनाये रखें। उक्त आदेश प्रचलित/कटानी/डबल-डोटेट रास्तों पर प्रभावी नहीं होगा। आवेदक सी.पी. सी. ऑर्डर 39(3) की पालना सुनिश्चित करे। नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्तो तलबी हेतु दिनांक 05.05.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">               उपखण्ड अधिकारी              नवलगढ़         </p> <p>             पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष अस्थित।              गत आदेशानुसार पत्रावली अ.थ.नं. 4-3/23              को पेश हो।              20/7/23         </p> <p style="text-align: center;">             उपखण्ड अधिकारी              नवलगढ़         </p> <p>             वकील अमरसिंह उरण/अना.सं. 6 की ओर से अस्थाई निषेधाज्ञा पत्रावली अ.थ.नं. 4-3/23 को पेश किया। अना.सं. 1 लगा. 5, 7, 9, 10 का खसरा नम्बर 302 रकबा 1.6200 हैक्टर भूमि में किसी भी भू-भाग पर न तो स्वयं कब्जे करें, ना ही अन्य किसी से करवाये, ना ही स्वयं बेदखल करें ना ही किसी से करावे, ना ही विशेष भाग पर कब्जा न तो स्वयं करे, ना ही अन्य किसी से करावे। आवेदकगण को शांतिपूर्वक उपयोग-उपभोग करने देवे। ना ही वादग्रस्त भूमि का विक्रय-पत्र दान-पत्र, हक त्याग-पत्र स्वयं तथा नौकर-चाकर से करावे, मौकें व रिकार्ड की यथास्थिति आगामी आदेश तक बनाये रखें। उक्त आदेश प्रचलित/कटानी/डबल-डोटेट रास्तों पर प्रभावी नहीं होगा। आवेदक सी.पी. सी. ऑर्डर 39(3) की पालना सुनिश्चित करे। नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्तो तलबी हेतु दिनांक 05.05.2023 को पेश हो।         </p> <p style="text-align: right;">             UT              From: N.A. 6   </p> <p style="text-align: center;">               उपखण्ड अधिकारी              नवलगढ़         </p>	

20/7/23

पत्रावली पेश। चकील पक्ष कार्यवाही  
यत आदेशानुसार पत्रावली आयन्दा दिनांक  
को पेश हो।

9/10/24

8  
उपरखण्ड अधिकारी  
नवलगाढ़

पत्रावली पेश हुई। चकील पक्षकारान  
अस्थित। पत्रावली

दिनांक 25/11/24

8  
उपरखण्ड अधिकारी  
नवलगाढ़

25/11/24

पत्रावली वाहे पेश असे जपाक शिनांक 6  
प. तलय शिनांक 8 अप्रका 50 23/4/24  
को पेश हो

8  
उपरखण्ड अधिकारी  
नवलगाढ़

29/4/24

पत्रावली पेश। चकील उभय पक्ष कार्यवाही  
यत आदेशानुसार पत्रावली आयन्दा दिनांक  
को पेश हो।

9/7/24

उपरखण्ड अधिकारी  
नवलगाढ़

9/7/24

चकील उभय पक्ष उभय जपाक 70 पत्र असे  
शिनांक 6 की ओर को पेश किया गया  
शिनांक 8 के लिए हल पाउ के एक पत्र  
कामगिरी से पूरी हो पत्रावली वाहे कक्ष  
T 2 जो पत्र अप्रका 50 दिनांक 24/7/2024  
को पेश हो

उपरखण्ड अधिकारी  
नवलगाढ़ (मुन्सुन)

24/7/24

पत्रावली पेश हुई। चकील पक्षकारान  
अस्थित। पत्रावली यत आदेशानुसार  
दिनांक 6/8/24 को पेश हो।

उपरखण्ड अधिकारी  
नवलगाढ़

6/8/24

पत्रावली पेश हुई। चकील पक्षकारान  
द्वारा कार्य स्थगित किया जाने तथा श्रीमान  
P.O. सा. अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली  
आयन्दा दिनांक 8/10/24 को पेश हो।

8/10/24

दिनांक	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
	<p>8/10/24            पत्रावली पेश हुई। वकील पत्रावली            प्रस्तुत। पत्रावली गत आदेशानुसार            दिनांक 13/11/24 को पेश की गई।            अपर्याप्त अधिकाारी            नवलगढ़</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकील पत्रावली प्रस्तुत            पत्रावली प्रस्तुत अधिकाारी नवलगढ़ पीर/बकाल/अन्य            कोर्ट में दाखल होने से पत्रावली पत्र आदेशानुसार आगवा            दिनांक 12/12/24 को पेश हो।</p>	
	<p>12/12/24            पत्रावली पेश हुई। वकील पत्रावली प्रस्तुत            पत्रावली प्रस्तुत अधिकाारी नवलगढ़ पीर/बकाल/अन्य            कोर्ट में दाखल होने से पत्रावली पत्र आदेशानुसार आगवा            दिनांक 13/12/24 को पेश हो।            8</p>	
	<p>13/12/25            पत्रावली पेश हुई। वकील पत्रावली प्रस्तुत            पत्रावली प्रस्तुत अधिकाारी नवलगढ़ पीर/बकाल/अन्य            कोर्ट में दाखल होने से पत्रावली पत्र आदेशानुसार आगवा            दिनांक 20/3/25 को पेश हो।            8</p>	
	<p>20/3/25            पत्रावली पेश हुई। वकील पत्रावली प्रस्तुत            पत्रावली प्रस्तुत अधिकाारी नवलगढ़ पीर/बकाल/अन्य            कोर्ट में दाखल होने से पत्रावली पत्र आदेशानुसार आगवा            दिनांक 20/3/25 को पेश हो।            नवलगढ़</p>	
	<p>25/3/2025            वकील कावेरु व कावेरुकर स्वयं अनुपालना            इन ज. पत्र से सम्बन्धित मूल काउंडर चर्चा            काउंडर पेश खातिर किया जा चुका है। इस            ज. पत्र में दिनांक 06.04.2023 को पाठित            अधिसूचना तत्काल प्रभाव से केंद्र/क्यासा            किया जाता है। यह ज. पत्र काउंडर चर्चा            काउंडर पेश खातिर किया जाता है। पत्रावली केवल            आगवा के नमूने के रूप में काउंडर तत्काल            जमा पेश किया गया है।            अपर्याप्त अधिकाारी            नवलगढ़ (अनुपालना)</p>	